राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या–1513/2013/जयपुर
2. अपील संख्या–1514/2013/जयपुर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर, विशेष वृत–VI, जयपुर। ....अपीलार्थी

बनाम

मै. सोमानी ट्रेडिंग कम्पनी,
277, किशनपोल बाजार, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री एस.के.जैन
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 01/06/2017

निर्णय

1. उपर्युक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा क्रमशः अपील संख्या 57/अपील्स–III/12–13/एफ एवं 58/अपील्स–III/12–13/एफ में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 08.04.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–षष्ट्म, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 26.03.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23, 55 व 58 के तहत कायम की गई मांग को अपास्त किया गया है।

2. इन दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों का कर देरी से जमा करवाया जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 55 एवं 58 के तहत् ब्याज एवं शास्ति आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 08.04.2013 द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए आरोपित ब्याज एवं शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपीलें पेश की गयी है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

5. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि उक्त प्रकरण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.12(25)/FD/Tax/11-69 दिनांक 30.03.2011 के अन्तर्गत आता है।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कहा कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.03.2011 की नियत दिनांक जिसे समय–समय पर बढाया गया है, की नियत समयावधि से पूर्व ही सभी नियत प्रपत्र पेश किये है एवं देय कर भी राज्य कोष में जमा करा दिया है, इस प्रकार उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित ब्याज व शास्ति का आरोपण अविधिक एंव अनुचित बताते हुए अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण आदेश के अनुच्छेद 8 के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी ने सभी देय प्रपत्र प्रथम वर्णित अधिसूचना की नियत समय सीमा से पूर्व पेश किये है। अपीलीय अधिकारी ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.03.2011 के अनुसार देय कर समय सीमा में जमा होने का स्पष्ट उल्लेख अपने अपने आदेश में कर रखा है। अपीलीय अधिकारी ने विधिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश 08.04.2013 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष